20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(31)

40

समक्ष न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर

कैम्प जबलपुर म0प्र0

रिवीजन क्रमांक ..../2018

निगरानी - 5579/2018/जबलपुर/भू.रा.

रिवीजनकर्ता : काशी राम पिता रामस्वरूप आयु करीब 42 साल निवासी - ग्राम पटोरी तहसील मझौली जबलपुर जिला जबलपुर म0प्र0 ।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण :

1- म0प्र0 शासन द्वारा अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर ।

2- मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर महोदय जबलपुर म0प्र0 ।

3- संदीप पटेल पिता श्री चंद्रिका प्रसाद पटैल उम्र 38 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 9 रजवई तहसील - मझौली जिला - जबलपुर म0प्र0 ।

27 AUG 2018

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959

NOTARY JABALPUR (M.P.) RAMDAS SHARMA

रिवीजनकर्ता अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर म0प्र0 के अपील प्रकरण क्रमांक 0788/अपील / 2017-18 में पक्षकार काशीराम विरुद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य 'आदेश दिनांक 17.08. 23018 से परिवेदित होकर निम्न तथ्यों व आधारो पर

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी. 5579 / 2018 / जबलपुर / भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
12–10–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री सुशील मिश्रा उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण कमांक 0788 / अपील / 2017–18 में पारित आदेश दिनांक 17.8.18 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि आवेदक ग्राम पटौरी तहसील मझौली जिला जबलपुर का निवासी है। आवेदक के स्वामित्व की भूमि ग्राम रजवई पटवारी हल्का कमांक 11 मंहगवां राजस्व निरीक्षक मण्डल मझौली जिला जबलपुर स्थित खसरा कमांक 207, रकबा 0.250 हैक्टेयर खसरा नंबर 223 / 2 करबा 0. 890 हैक्टेयर भूमि को विकय करने की अनुमति हेतु कलेक्टर जिला जबलपुर के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया जाकर उत्तरवादी कमांक 3 को विकय करने का अनुबंध किया गया। कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा मात्र यह कहते हुये विकय की अनुमति का आवेदन निरस्त कर दिया गया कि आवेदक द्वारा समाधानकारक कारण नहीं बताने के कारण निरस्त किया गया। इससे दुखित होकर आवेदक द्वारा अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा प्रकरण कमांक 0788 / अपील / 2017–18 पर दर्ज कर दिनांक	

17.8.18 को कलेक्टर का आदेश स्थिर रखते हुये अपील खारिज की गई, इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक के पास उपरोक्त विकीत भूमि के अलावा ग्राम सगोना पटवारी हल्का कमांक 17 हल्का पटोरी राजस्व निरीक्षक मण्डल मझौली में स्थित भूमि खसरा कमांक 75 रकबा 1.070 हैक्टेयर खसरा नंबर 72 रकबा 0.870 हैक्टेयर खसरा नंबर 64/1 रकबा 0.480 हैक्टेयर खसरा कमांक 118 रकबा 0.600 हैक्टेयर खसरा नंबर 111 रकबा 0.400 हैक्टेयर खसरा नंबर 109 रकबा 0.730 हैक्टैयर खसरा नंबर 107 रकबा 0.640 हैक्टेयर सिंचित कृषि भूमि है। उक्त भूमि को आवेदक उन्नत करना चाहता है, भूमि हेतु कृषि यंत्र भी कय करना चाहता है। म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिये गये प्रावधानों के तहत अन्य 12 एकड़ सिंचित भूमि बचती है। जिससे आवेदक उक्त भूमि से अपने परिवार का सही ढंग से पालन पोषण कर सकता है। अंत में आवेदक द्वारा निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

4–अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क कहा गया है कि यदि विकय की अनुमति मिल जाती है तो वह शासकीय गाईड लाईन से नियमानुसार भुगतान करने हेतु तैयार। अंत में उनके द्वारा कहा गया है आवेदक से अनुबंध किया गया उसी अनुसार वह भूमि कय करने हेतु तैयार है।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न

दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि आवेदक द्वारा अपनी भूमि के खसरा की छाया प्रति प्रस्तुत की है तथा उसमें उसके पास दो ग्रामों में भूमि है तथा उसके द्वारा बताया गया है कि एक ग्राम की भूमि विकय कर दूसरी ग्राम की भूमि को उन्नत बनाने हेतु कृषि यंत्र कय करना चाहते है जिससे उक्त भूमि को अच्छी ढंग से उपजाऊ बना सके। दो ग्रामों की भूमि की देखरेख हेतु कठिनाई होती है। आवेदक के स्वामित्व की भूमि ग्राम रजवई पटवारी हल्का कमांक 11 मंहगवां राजस्व निरीक्षक मण्डल मझौली जिला जबलपुर स्थित खसरा कमांक 207, रकबा 0.250 हैक्टेयर खसरा नंबर 223/2 करबा 0.890 हैक्टेयर भूमि को विकय करने के पश्चात उसके पास 12 एकड़ सिंचित कृषि भूमि बचेगी। उसके पश्चात भी कलेक्टर एवं अपर आयुक्त जबलपुर द्वारा विकय की अनुमति को निरस्त किया गया है। **(गणेश राम विरूद्व मध्यप्रदेश शासन) राजस्व निर्णय 2013–60** म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि आवेदक के पास विकय के पश्चात 5 एकड़ सिंचित्र या 10 एकड़ असिंचित भूमि शेष रहना आवश्यक है, यदि आवेदक के पास उक्त भूमि शेष बचती है तो उसे भूमि विकय की अनुमति दी जानी चाहिये। आवेदक के पास उक्त भूमि विकय के पश्चात संहिता में निहित प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त शेष भूमि बच रही है। इसलिये कलेक्टर जिला जबलपुर का आदेश दिनांक 6.12.17 एवं अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर का आदेश दिनांक 17.8.18 त्रुटिपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला जबलपुर का प्रकरण कमांक 115/अ–21/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 6.12.17 एवं अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर का का प्रकरण कमांक 0788/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 17.8.18 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा आवेदक के स्वामित्व की भूमि ग्राम रजवई पटवारी हल्का कमांक 11 मंहगवां राजस्व निरीक्षक मण्डल मझौली जिला जबलपुर स्थित खसरा कमांक 207, रकबा 0.250 हैक्टेयर खसरा नंबर 223/2 करबा 0.890 हैक्टेयर भूमि को विकय करने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि केता द्वारा वर्तमान वर्ष की गाईड लाईन से भूमि का मूल्य अदा किया जायेगा। उप पंजीयक को निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिश्चत करें कि केता द्वारा विकय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) बैंकर चेक/बैंक ड्राफट/नेट बैकिंग से आवेदक के खाते में जमा की जायेगी। परिणामस्वरूप आवेदकगण की निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य